माननीय न्यायमूर्ति जे. एम. टंडन के समक्ष

मदन मोहन-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1984 की आपराधिक विविध संख्या 4224-एम।

21 नवंबर 1984.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का द्वितीय) - धारा 5(3) और 8 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 161, 165 और 165-ए - धारा 5(3) (ii) के तहत एक गवाह का अभियोजन - ऐसा अभियोजन - क्या धारा 8-धारा 5(3)(ii) के प्रावधानों के मद्देनजर वर्जित है-क्या धारा 165-ए से स्वतंत्र अपराध बनता है।

माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या 165 के तहत किसी अपराध को उकसाना धारा 165-ए के तहत एक स्वतंत्र अपराध है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(3) संहिता की धारा 165-ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान करती है, यदि वह उस अपराध को आदतन करता है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि अधिनियम की धारा 5(3) संहिता की धारा 165-ए से स्वतंत्र अपराध है। एक आरोपी जो आदतन अपराध करता है, उसे अभी भी संहिता की धारा

165-ए के तहत दोषी ठहराया जाएगा। दूसरे शब्दों में, धारा8 के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त व्यक्ति पर अधिनियम की धारा5(3) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

(पैरा4).

सीआरपीसी की धारा432 के तहत याचिका। पी. सी. प्रार्थना कर रहा है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1 से पी-3 को रद्द कर दिया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील जगदेव शर्मा।

राज्य की ओर से अधिवक्ता राजेश महाजन।

<u>निर्णय</u>

माननीय न्यायमूर्ति जे. एम. टंडन-

(1) याचिकाकर्ता मदन मोहन 30 अप्रैल 1984 को राज्य बनाम अभय सिंह में धारा 161/165-ए/109, भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(3) के तहत अभियोजन गवाह के रूप में पेश हुए। (इसके बाद अधिनियम) और कहा कि वह बी.डी. के कार्यालय से अन्य व्यक्तियों के नाम पर स्वीकृत सीमेंट की खरीद के लिए परमिट प्राप्त कर रहा था। और पी.ओ. रुपये की दर से अवैध परितोषण के भुगतान पर कैथल। सीमेंट की प्रति बोरी 10 रु. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी सहित अधिकारियों द्वारा

की गई अवैध मांग के किसी भी दबाव का कोई सवाल ही नहीं था और उन्होंने उन्हें अपनी ओर से अवैध परितोषण का भुगतान किया क्योंकि उन्हें चावल शेलर के निर्माण के लिए सीमेंट बैग की आवश्यकता थी। विशेष न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र ने दिनांक 30 अप्रैल, 1984 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 5(3) (ii) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए एक आरोपी के रूप में बुलाया। विशेष न्यायाधीश ने 4 जून, 1984 को एक अन्य आदेश द्वारा राय दी कि अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पर धारा 165-ए के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालाँकि, उन पर अधिनियम की धारा 5(3)(ii) के तहत आरोप लगाने का आदेश दिया गया था। उसी तारीख को याचिकाकर्ता पर निम्नानुसार आरोप लगाया गया: -

"आपने दूसरों के नाम पर सीमेंट बैग के परमिट जारी करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल के कार्यालय के अधिकारियों को आदतन अवैध रिश्वत दी और विशेष रूप से, आपने 14 सितंबर, 1981 को कैथल में रुपये दिए। आपको मनोहर लाई के नाम पर जारी सीमेंट के आठ बैग का परमिट देने के लिए उक्त कार्यालय के हेड क्लर्क अभय सिंह को अवैध परितोषण के रूप में 150 रुपये दिए गए और इस तरह रोकथाम की धारा 5 (3) (ii) के तहत दंडनीय अपराध किया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947, और मेरे संज्ञान में है।

और मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप पर मेरे द्वारा आप पर मुकदमा चलाया जाए।"

याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में धारा 482, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत 30 अप्रैल, 1984 और 4 जून, 1984 के आदेशों को चुनौती दी है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पर अधिनियम की धारा 5 (3) (ii) के तहत राज्य बनाम अभय सिंह के 30 अप्रैल 1984 के बयान के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसकी धारा 8 में निहित प्रावधानों के बारे में राज्य के विद्वान वकील का तर्क यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता पर अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5(3)(ii) के तहत क्योंकि यह एक स्वतंत्र अपराध है। विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अधिनियम की धारा 5(3)(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए से स्वतंत्र अपराध है या नहीं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए कहती है:

"165-ए. धारा 161 या धारा 165 में परिभाषित अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के लिए सजा.—

जो कोई भी धारा 161 या धारा 165 के तहत दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, उसे किसी एक अवधि के

लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ।"

अधिनियम की धारा 8 में लिखा है:

"8. रिश्वत देकर उस पर मुकदमा न चलाने का बयान.-

फिलहाल लागू किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161 या धारा 165 के तहत अपराध के लिए किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, या उप- इस अधिनियम की धारा 5 की धारा (2) या उपधारा (3-ए), कि उसने लोक सेवक को कोई परितोषण (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई मूल्यवान वस्तु देने की पेशकश की है या देने पर सहमति व्यक्त की है, ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उक्त संहिता की धारा 165-ए के तहत।"

(3) यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत, याचिकाकर्ता को राज्य बनाम अभय सिंह में 30 अप्रैल 1984 को दिए गए अपने बयान के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत अभियोजन से छूट प्राप्त है।

अधिनियम की धारा 5(3) में लिखा है:

"जो कोई आदतन ऐसा करता है-

(i) भारतीय दंड संहिता (1960 का 45) की धारा 162 या धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध, या

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत दंडनीय अपराध, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है:

बशर्ते कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किसी विशेष कारण से, एक वर्ष से कम कारावास की सजा दे सकता है।

(4) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या 165 के तहत किसी अपराध को उकसाना, भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत एक स्वतंत्र अपराध है। अधिनियम की धारा 5(3) धारा 165-ए, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान करती है, यदि वह उस अपराध को आदतन करता है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि अधिनियम की धारा 5(3) धारा 165-ए से स्वतंत्र अपराध है। एक आरोपी जो आदतन अपराध करता है, उसे अभी भी भारतीय दंड संहिता की धारा 165-ए के तहत दोषी ठहराया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति धारा 8 के तहत प्रतिरक्षित है, उस पर अधिनियम की धारा 5(3) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 4 जून, 1984 के आक्षेपित आदेश में विद्वान विशेष न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र द्वारा अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(5) परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और विशेष न्यायाधीश कुरूक्षेत्र के दिनांक 30 अप्रैल, 1984 और 4 जून, 1984 के आक्षेपित आदेश, साथ ही धारा 5(3) (ii) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। राज्य बनाम अभय सिंह में अधिनियम को रद्द कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा